

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

18

संचिका सं० : 29/पथ/विविध-01-02/2017

पटना, दिनांक :

27/7/17

कार्यालय आदेश

135

वित्त विभाग के संकल्प सं०-487 वि० दिनांक-15.01.2014 के आलोक में विभाग में लम्बित न्यायिक मामलों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु (1) श्री कृष्ण मोहन राय, पिता-बिहारी शरण राय, पता-पटना हाईकोर्ट, 32, निलकन्ठ कॉलोनी, सेक्टर-02, आशियाना, ए०जी० रोड, पटना-25 (2) श्री अरूण कुमार तिवारी, पिता-श्री केशव तिवारी, यदुवंशी नगर, दीघा, पटना-11 (3) श्री विश्वरूप झा, पिता-श्री बच्चा झा, पता-आदर्श बिहार कॉलोनी, (एस०भी०एम० स्कूल के पास), रोड नं०-24, राजीवनगर, पटना-800024 (4) श्री अशोक कुमार कर्ण, पिता-स्व० सत्यदेव लाल कर्ण, पता-21, अम्बा बिहार, अम्बेदकर पथ, जगदेवपथ, पटना, (बिहार) को विभाग के पैनल में मात्र एक माह के लिए पूर्णतः तदर्थ रूप से रखा जाता है।

2. प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु वित्त विभाग के पत्र के आलोक में अधिकतम रूपया 1200/- (बारह सौ रूपया) देय होगा तथा प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम रूपया 300/- (तीन सौ रूपया) देय होगा। भुगतान "13-05 विधि प्रभार मद" के अन्तर्गत किया जाएगा। व्यय उपलब्ध बजट के अन्तर्गत सीमित रहेगा।

3. यह व्यवस्था पूर्णरूपेण तदर्थ है। विभागीय पैनल के गठन होते ही यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था मात्र अगले एक माह की अवधि के लिए वैध होगी।

4. इसमें प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

ज्ञापांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन कोषागार, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

ज्ञापांक :

प्रतिलिपि : सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ, यांत्रिक उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव(मु०/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

IT Manager  
3  
02/09/17


ज्ञापांक :

6797(5)

पटना, दिनांक :


27/7/17

प्रतिलिपि : श्री कृष्ण मोहन राय, पिता-बिहारी शरण राय, पता-पटना हाईकोर्ट, 32, निलकण्ठ कॉलोनी, सेक्टर-02, आशियाना, ए0जी0 रोड, पटना-25/श्री अरूण कुमार तिवारी, पिता-श्री केशव तिवारी, यदुवंशी नगर, दीघा, पटना-11/श्री विश्वरूप झा, पिता-श्री बच्चा झा, पता-आदर्श बिहार कॉलोनी, (एस0भी0एम0 स्कूल के पास), रोड नं0-24, राजीवनगर, पटना-800024/श्री अशोक कुमार कर्ण, पिता-स्व0 सत्यदेव लाल कर्ण, पता-21, अम्बा बिहार, अम्बेदकर पथ, जगदेवपथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

  
27/7/17

